केनरा बैंक Canara Bank

3 एफ कमला नगर शाखा, दिल्ली। फोन– 011–23841322

लॉकरों को तोड़कर खोलने के लिए सार्वजनिक नोटिस

सभी संबंधित व्यक्तियों और आम जनता को एतद्द्वारा एक सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि इस सूचना में नामित व्यक्ति/व्यक्तियों ने केनरा बैंक की नीचे उल्लिखित शाखाओं (ई–सिंडिकेट बैंक की शाखाओं सहित) में सेफ डिपॉजिट लॉकर की सुविधा का लाभ उठाया है। संबंधित शाखाओं ने लॉकर किराएदारों/एलओए को हमारे बैंक रिकॉर्ड के अनुसार नवीनतम उपलब्ध पते पर पावती देय पंजीकृत डाक द्वारा व्यक्तिगत पत्र/सूचनाएँ पहले ही भेज दी हैं, जिसमें लॉकर किराए की बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। इन सूचनाओं के बावजूद, लॉकर किराएदारों/एलओए ने शाखा से संपर्क नहीं किया है और लॉकर किराए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

नीचे नामित लॉकर किरायेदारों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुरोध है कि वे इसे **अंतिम नोटिस** मानें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित शाखा से संपर्क करें और इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर लॉकर किराए का बकाया जमा करें। ऐसा न करने पर बैंक बिना किसी और सूचना या नोटिस के, किरायेदारों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों की लागत और जोखिम पर लॉकरों को तोड़कर खोल देगा।

क्र. सं.	शाखा का नाम	नाम और पता	लॉकर नं.	तोड़कर खोलने का कारण	देय राशि	अंतिम प्रचालन की तारीख
1.	कमलानगर 3 एफ	मीनू राजपाल जेडी–24डी, पीतमपुरा दिल्ली 110085	51 सी	3 वर्ष से किराया बकाया है	₹ 9440	12.08.2019

स्थान: नई दिल्ली, दिनांक: 20.08.2025 — शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक

Aavas

SAPNE AAPKE SAATH HAMAARA

आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड

(सीआईएन: L65922RJ2011PLC034297)

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020, राजस्थान, भारत | फोन: +91 141 661 8800 फैक्स: +91 141 661 8861 | ईमेल: info@aavas.in | वेबसाइट: www.aavas.in

सार्वजनिक सूचना

कंपनी की गाजियाबाद शाखा को नए स्थान पर स्थानांतरित करने की सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की गाजियाबाद शाखा इस सूचना की तारीख से तीन महीने बाद पहली मंजिल, पारिजात भवन, प्लॉट नं. बी-38, आरडीसी राज नगर, गाजियाबाद- 201002, उत्तर प्रदेश से पहली मंजिल, बी-17, आरडीसी राज नगर, गाजियाबाद - 201002, उत्तर प्रदेश स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाएगी।

आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड के लिए
एसडी/-
शरद पाठक
मुख्य अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 20 अगस्त 2025
स्थान: गाजियाबाद

यूको बैंक UCO Bank (Honours Your Trust)

Ref. No. MEEZO/REC/2025-26/ — दिनांक: 08.08.2025

1. श्री ओमपाल वर्मा पुत्र सुरजमल।
2. श्री यशपाल वर्मा पुत्र सुरजमल।

सन्दर्भ: 15 दिनों के भीतर इन्वेंट्री आइटम खाली करना

हम आपको सूचित करते हैं कि आपकी संपत्ति, आवासीय मकान, ताहरपुर भभीसा, जिला- शामली, सम्पत्ति स्वामी ओमपाल वर्मा एवं यशपाल वर्मा, ताहरपुर भभसा, जिला- शामली, माप क्षेत्रफल 301 वर्ग मीटर, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस शामली, बुक नं0 1, पंजीकरन नं0 3972, दिनांक 06.04.2016 के तहत पंजीकृत है। स्थित ग्राम- ताहरपुर भभीसा, निकट यूको बैंक, परगना कांधला, तहसील एवं जिला- शामली- 250401 और हमारे बैंक द्वारा दिनांक 29.05.2025 को ई-नीलामी के माध्यम से बेच दी गई है।

आपको सलाह दी जाती है कि कृपया अपना सामान यथाशीघ्र गाँव ताहरपुर-भभीसा, यूको बैंक के पास, परगना-कांधला, तहसील एवं जिला-शामली, पिन-250401 से प्राप्त करें। यदि आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर उक्त सामान प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपका सामान बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा। कृपया इस सूचना को अंतिम अनुस्मारक मानें। हमने आपको नीलामी के संबंध में पहले भी दिनांक 07.05.2025 के पत्र द्वारा सूचित किया था।

प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...the name you can BANK upon!

बीओ : नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सेक्टर–63, नोएडा ईमेल – bo6717@pnb.co.in

लॉकर्स के किराए के बकाया के लिए नोटिस

पंजाब नेशनल बैंक ने संबंधित लॉकर किरायेदार को सुरक्षित जमा तिजोरी (लॉकर) किराए पर दिए थे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में वर्णित किया गया है।

लॉकर किरायेदार द्वारा किराया नहीं चुकाया गया है और उनके नाम पर किराया बकाया है। बैंक ने संबंधित लॉकर किरायेदार को बकाया लॉकर किराया चुकाने के लिए तीन नोटिस जारी किए हैं, लेकिन अभी तक किराया जमा नहीं किया गया है।

क्रमांक	लॉकर नं.	लॉकर धारक का नाम और पता	देय राशि
1.	AA54M1	सुनील कुमार गुप्ता, ई–401 एस.पी.एस रेजीडेंसी इंदिरापुरम, गाजियाबाद	रु. 14,155/–

लॉकर किराएदार को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपर्युक्त लॉकर का किराया बैंक को 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो किराया विलेख की धाराओं के अनुसार, संबंधित लॉकर किराएदार के जोखिम और लागत पर लॉकर को तोड़ दिया जाएगा और बैंक लॉकर की सामग्री के एक भाग या संपूर्ण भाग की सार्वजनिक या निजी बिक्री द्वारा अपनी बकाया राशि वसूल करेगा। बैंक की बकाया राशि चुकाने के बाद लॉकर की शेष राशि और/या सामग्री बैंक द्वारा संबंधित लॉकर किराएदार के संपूर्ण जोखिम, जिम्मेदारी और लागत पर रखी जाएगी। यदि ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि बैंक की बकाया राशि वसूलने के लिए अपर्याप्त है, तो लॉकर किराएदार इस कमी के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक : 20–08–2025, स्थान : नोएडा — शाखा प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक

केनरा बैंक Canara Bank

रोहिणी सेक्टर 9 शाखा
ईमेल: cb2747@canarabank.com

लॉकर खोलने के लिए सार्वजनिक सूचना

यह सभी संबंधित व्यक्तियों और सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के तहत नामित व्यक्ति/यों ने केनरा बैंक (ई–सिंडिकेट बैंक की शाखाओं सहित) की नीचे वर्णित शाखाओं में सुरक्षित जमा लॉकर की सुविधा का लाभ उठाया है। संबंधित शाखाओं ने पहले ही हमारे बैंक रिकॉर्ड के अनुसार नवीनतम पते पर लॉकर किरायेदारों/एलओए को पंजीकृत डाक द्वारा व्यक्तिगत पत्र/सूचनाएं भेजी हैं, जिनमें लॉकर किराए की बकाया राशि चुकाने का अनुरोध किया गया है। इन सूचनाओं के बावजूद, लॉकर किराएदारों/एलओए ने शाखा से संपर्क नहीं किया है न ही लॉकर के किराए की बकाया राशि जमा की है।

नीचे नामित लॉकर धारकों और उनके कानूनी वारीसों से अनुरोध किया जाता है कि इसे अंतिम सूचना के रूप में माने और संबंधित दस्तावेजों के साथ संपर्क करें और इस सूचना के प्रकाश की दिनांक से 30 दिनों के भीतर लॉकर के किराए की बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा बैंक लॉकर को बिना किसी अन्य सूचना या सूचना के खोलेगा, जिसके लिए पूरा खर्च और जोखिम धारकों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों/वारीसों का होगा।

क्र. सं.	शाखा का नाम / संपर्क संख्या	लॉकर संख्या	लॉकर किराया बकाया	लॉकर किराएदार का नाम और पता
1.	रोहिणी सेक्टर–9 9560062747	961 123003713593	रू.17,110/–, (रुपये सत्रह हजार एक सौ दस मात्र)	साहिल सिंह, सी–1/6, डीडीयू हॉस्पिटल स्टॉफ क्वार्टर्स, हरी नगर, दिल्ली–110064

दिनांक: 20.08.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार चंद्रकांत मणि और उषा देवी को 16.05.2025 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDPM00545799 की राशि रू. 27,59,965.44 (रुपये सत्ताईस लाख उनसठ हजार नौ सौ पैंसठ और चौवालीस पैसे मात्र) और 14.05.2025 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.08.2025 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 27,59,965.44 (रुपये सत्ताईस लाख उनसठ हजार नौ सौ पैंसठ और चौवालीस पैसे मात्र) 14.05.2025 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के अधीन होगी।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

निजी नं. 101 के सभी भाग और खंड, ऊपरी भूतल, (छत के अधिकार बिना), सामने की ओर, भूमि क्षेत्र माप 41.81 स्क्वे. मीटर्स यानि अर्थात 50 स्क्वे.यार्डस, खसरा नं. 64/13 में से संपत्ति नं. 78 पर निर्मित, गाँव हस्तसाल के क्षेत्र में स्थित और मोहन गार्डन नामक कॉलोनी, ब्लॉक- के-1 में, एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059, नीचे की भूमि में आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और स्वामित्व अधिकारों के साथ, उक्त भवन के स्टिल्ट भाग में एक छोटी हैचबैक कार पार्किंग अधिकार के साथ, और जिसकी सीमा निम्नानुसार है।

पूर्व : अन्य की संपत्ति — पश्चिम : अन्य का फ्लैट
उत्तर : अन्य का फ्लैट — दक्षिण : प्रवेश द्वार

सही/-
दिनांक : 18.08.2025 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली — सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

यूको बैंक UCO Bank (Honours Your Trust)

Ref. No. Meecol/Gen/2024-25/188 — दिनांक: 14.02.2025

मैसर्स भारत कंस्ट्रक्शन्स
पार्टनर्स
1. श्री शशि पाल सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह,
2. श्री रविन्द्र वर्मा पुत्र श्री शशि पाल सिंह,
3. श्री अरविंद कुमार वर्मा पुत्र श्री शशि पाल सिंह,
4. श्री देवेन्द्र वर्मा पुत्र श्री शशिपाल सिंह।

पता:
1. ग्राम एवं पोस्ट- ताहरपुर भभीसा, जिला- शामली, उ0प्र0- 247775
2. मकान नं0 26 न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी निकट इन्द्रापुरम कॉलोनी फेस-1, रुड़की रोड, मेरठ, उ0प्र0- 250002

सन्दर्भ: 15 दिनों के भीतर इन्वेंट्री आइटम खाली करना

हम आपको सूचित करते हैं कि आपकी संपत्ति,

1. एक निर्मित मकान माप क्षेत्रफल 225.72 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम- ताहरपुर भभीसा, निकट यूको बैंक, परगना कांधला, तहसील एवं जिला- शामली- 247775 (उ0प्र0), सम्पत्ति स्वामी श्री शीशपाल सिंह, विलेख का विवरण: दस्तावेज नं0 10298, बुक नं0 1, खंड नं0 4436, पेज नं0 127-140, दिनांक 29.09.2025, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस शामली, हमारे बैंक द्वारा दिनांक 29.01.2025 को ई-नीलामी के माध्यम से बेच दी गई है।
2. एक आवासीय प्लॉट माप क्षेत्रफल 225.72 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम- ताहरपुर भभीसा निकट यूको बैंक, परगना-कांधला, तहसील एवं जिला- शामली- 247775 (उ0प्र0)। सम्पत्ति स्वामी श्री शीशपाल सिंह। विलेख का विवरण: दस्तावेज नं0 10371, बुक नं0 1, खंड नं0 4439, पेज नं0 17-26, दिनांक 03.10.2015, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस शामली को हमारे बैंक द्वारा दिनांक 29.01.2025 को ई-नीलामी के माध्यम से बेच दी गई है।

आपको सलाह दी जाती है कि कृपया ग्राम ताहरपुर-भभीसा, यूको बैंक के पास, परगना-कांधला, तहसील एवं जिला-शामली, पिन-247775 से प्राप्त करें। यदि आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर उक्त सामान प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपका सामान बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा। हमने आपको नीलामी के संबंध में पहले भी पत्र संख्या संदर्भ संख्या मीकोल/जनरल/2024-25/172 के माध्यम से सूचित किया था।

प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय: सेक्टर–18, नोएडा, उत्तर प्रदेश ईमेल– BO3702@pnb.co.in

लॉकरों के किराया बकाया हेतु नोटिस

कि पंजाब नैशनल बैंक ने नीचे तालिका में यथाउल्लिखित संबंधित लॉकर किरायेदारों को सेफ डिपोजिट वॉल्ट्स (लॉकर्स) किराये पर दिए थे।

लॉकर किरायेदारों द्वारा किराया भुगतान नहीं किया है और उनके खिलाफ किराया का बकाया है। बैंक ने लॉकर किराये के बकाया अतिदेय के भुगतान हेतु संबंधित लॉकर किरायेदारों को तीन नोटिस जारी किए, किंतु अभी तक किराये का भुगतान नहीं किया गया है।

क्र. सं.	लॉकर नंबर	लॉकर धारक का नाम और पता	बकाया राशि
1.	AD00277	मंजू शर्मा, 402–ए, लोटस पोंड वैभव खंड–2, इंदिरापुरम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014	रु. 12575/–

लॉकर किरायेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त लॉकरों के किराये का भुगतान 90 दिनों के अंदर नहीं किया जाता है तो किराया विलेख के खंडों के अनुपालन में संबंधित लॉकर किरायेदार के हर्जे–खर्चे पर लॉकर तोड़कर खोले जायेंगे और बैंक लॉकर की सामग्री अंतर्वस्तुओं या इसके किसी भाग की सार्वजनिक अथवा निजी बिक्री द्वारा अपने देयों की वसूली करेगा। बैंक के देयों को पूरा कर दिए जाने के बाद शेष कोई राशि और/या लॉकर की अंतर्वस्तु बैंक द्वारा संबंधित लॉकर किरायेदार के पूर्ण जोखिम, जिम्मेदारी और लागत पर बैंक के अधिकार में रखे जायेंगे। ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि के बैंक देयों की वसूली के लिए अपर्याप्त होने पर लॉकर किरायेदार कमी के लिए देनदार होगा।

दिनांक: 20.08.2025, स्थान: नोएडा — शाखा प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक

इंडियन बैंक Indian Bank

दिल्ली गेट शाखा, गाजियाबाद (शाखा कोड 4412)
ईमेल : delhigate.GAZIABAD@indianbank.co.in

[प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(1) अंतर्गत]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **इंडियन बैंक** के प्राधिकृत होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 29/11/2024 को मांग सूचना जारी कर कर्जदार **मैसर्स त्रिमूर्ति म्युजिकल हाउस** (स्व. श्री ब्रह्म दत्त शर्मा के कानूनी वारीसों के माध्यम से) (कर्जदार), **स्व. श्री ब्रह्म दत्त शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा** (कानूनी वारीसों के माध्यम से) (मालिक, बंधककर्ता और गारंटर) और **श्री महेश दत्त शर्मा पुत्र स्व. श्री ब्रह्म दत्त शर्मा** (गारंटर) संग **दिल्ली गेट शाखा** को सूचना में वर्णित राशि **रुपये 9,24,371/– (रुपये नौ लाख चौबीस हजार तीन सौ इकहत्तर मात्र)** दिनांक **29.11.2024 तक** उस पर ब्याज सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहा है, एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लेखित संपत्ति पर इस **अगस्त, 2025 के 19वें दिन** कब्जा प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप से सर्वजन को उक्त संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन–देन **रुपये 9,24,371/–** दिनांक 29.11.2024 तक और उस पर ब्याज सहित इंडियन बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान पर आमंत्रित किया जाता है, ताकि प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को को छुड़ाया जा सके।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान नगर निगम सं. पुराना सं. 45, नया सं. 47, कवर्ड क्षेत्र 550 वर्ग फुट का भूतल, स्थित मोहल्ला छत्ता, दिल्ली गेट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग और संपत्ति श्री ब्रह्म दत्त शर्मा के नाम।

सीमांकन निम्न प्रकार:
उत्तर : नाली और सरकारी सड़क — पूर्व : मकान की खिड़की और राम सरण का मकान
दक्षिण : दिवाल और निरंजन लाल का मकान — पश्चिम : मकान का दरवाजा और सरकारी सड़क

कर्जदार : मैसर्स त्रिमूर्ति म्युजिकल हाउस
मालिक श्री ब्रह्म दत्त शर्मा पुत्र श्री जलदीश दत्त शर्मा के ''कानूनी वारीसों के माध्यम से''
पता: 36/47 छत्ता गली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001
मालिक, बंधककर्ता और गारंटर: मालिक श्री ब्रह्म दत्त शर्मा पुत्र श्री जलदीश दत्त शर्मा के ''कानूनी वारीसों के माध्यम से''
पता: 36/47 छत्ता गली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 20100
गारंटर: श्री महेश दत्त शर्मा पुत्र स्व. श्री ब्रह्म दत्त शर्मा
पता: 36/47 छत्ता गली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 20100

दिनांक : 05.08.2025, स्थान : गाजियाबाद — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी (इंडियन बैंक)

नोट: इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत 05.08.2025 को जारी की गई पूर्व कब्जा सूचना को रद्द किया गया है और इसलिए यह नई कब्जा सूचना जारी की गई है।

HDFC BANK We understand your world

विशेष अभियान के लिए विभाग: एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जी/2, प्लॉट सं.–07, अशोक नगर, कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन मैन रोड प्रयागराज, उ.प्र. 211001

''परिशिष्ट-IV-ए''
[देखे परंतुक नियम 8(6)]
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित के तहत बैंक को बंधक रखी अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटरों(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता को गिरवी/बंधक रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को प्रत्याभूत ऋणदाता के **1. मैसर्स श्री बीआरजी ड्रग डिस्ट्रिब्यूटर, 2. श्री मुकेश कुमार राठी (मालिक, बंधककर्ता और गारंटर), 3. श्री मेसानिश राठी (गारंटर)** से बकाया **रुपये 97,20,931.78** दिनांक **31.12.2024** तक भविष्य के ब्याज और लागू लागतों के साथ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की वसूली के लिए **123/09/2025** को **''जो है जैसा है'', ''जो है जहां है'' और ''वहां जो कुछ भी है''** पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपये 70,00,000/–** होगा और अग्रिम राशि जमा **रुपये 7,00,000/–** होगी।

अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण

आवासीय संपत्ति धारक फ्लैट सं. 107 भूतल पर, क्षेत्र 128.25 वर्ग मीटर जिसका पालिका सं. 18/163ए/बीआर/107, स्थित विभाव विहिरा, मेयर ट्रोस्ट कॉम्प्लेक्स, ताजगंज वार्ड, तहसील और जिला–आगरा, उत्तर प्रदेश–282001, मापक क्षेत्र–128.25 वर्ग मीटर का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग और सीमांकन प्रकार:–पूर्व : फ्लैट सं. 108, पश्चिम: नीचे खुला स्थान, उत्तर : नीचे खुला स्थान, दक्षिण : कुछ गैलरी की जगह और फ्लैट सं. 109, स्वामी का नाम–मुकेश कुमार राठी पुत्र अशोक कुमार राठी

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices लिंक देखें।

दिनांक : 21.08.2025 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : आगरा — एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

औदुंबर, 101/1, इरंडवाने, डा. केतकर रोड, पुणे 411004, महाराष्ट्र, भारत

अधिग्रहण सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड, एक अ–बैंकिंग वित्तीय प्रतिष्ठान, जिसका पंजीकृत कार्यालय: औदुंबर, भूखंड सं. 101/1, डा. केतकर रोड, परांजपे बिल्डर कार्यालय के सम्मुख, इरंडवाने, पुणे–411004** (यहां इसमें इसके उपरांत "ईएफएल" के रूप में संदर्भित) में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) (यहां इसमें इसके उपरांत "सरफॉएसि अधिनियम, 2002" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक माँग सूचना दिनांकित **17–अप्रैल–2025** निर्गत की थी तथा जो **22–अप्रैल–2025** को प्रकाशित हुयी थी, जिसमें आप निम्ननामित : **1. विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज,** पता : 33 केवी पॉवर हाउस रेवाड़ी मार्ग, तावडू लैंडमार्क– इले बोर्ड के समीप, गुरुग्राम हरियाणा पिन कोड 122105, **2. प्रकाश वीर,** 33 केवी पॉवर हाउस रेवाड़ी रोड, तावडू लैंडमार्क– इले बोर्ड के समीप, गुरुग्राम हरियाणा पिन कोड 122105, **3. सपना कुमारी, पता :** मकान सं. डीएच 90 बी, वार्ड नं. 13, रेवाड़ी रोड, केवी पॉवर, लैंडमार्क– तावडू गुरुग्राम हरियाणा पिन कोड 122105, **4. मनीष कुमार शर्मा,** मकान सं. डीएच 90 बी के वी पॉवर हाउस, लैंडमार्क – गुरुग्राम, हरियाणा, पिन कोड 122105 को, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना दिनांकित **17–अप्रैल–2025** के अनुसार, जो कि सं. 1 एवं 4 में वर्णित समस्त उपरोक्त पक्षकारों को **21.04.2025** को प्रेषित की गयी थी, जिसके द्वारा आपको सूचना में अंकित राशि **रु. 35,14,615/– (रुपये पैंतिस लाख चौदह हजार छह सौ पंद्रह मात्र)** का ब्याज के साथ, **ऋण खाता संख्या / संदर्भ APPL00072697 (LOAN000005024690)** के माध्यम से, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

"ऋणकर्ता / गारंटर उक्त निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **19 अगस्त 2025 को, अधिग्रहण कर लिया है।**

ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि अनुसूची । में वर्णित परिसंपत्ति का लेन–देन न करें और अनुसूची । में विवरणित परिसंपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 35,14,615/– (रुपये पैंतिस लाख चौदह हजार छह सौ पंद्रह मात्र)** की एक राशि और इस राशि पर नियत ब्याज और अन्य शुल्कों हेतु **"ईएफएल"** के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका खेवट नं. 163/173, मुस्तकिल नं. 92, किला नं. 5/2 (3–16) तथा मुस्तकिल नं. 93 किला नं. 1/2 (3–13) तथा किला नं. 26 (0–11) है जो 4/160 4 मारला का 8 कनाल भाग है, जो ग्राम– तावडू तहसील जनपद रेवाड़ी (120 वर्ग गज) में स्थित है। **उपर्युक्त संपत्ति की सीमाएं :–** उत्तर की ओर– 18 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण की ओर– रिक्त भूखंड, पूर्व की ओर– रिक्त भूखंड, पश्चिम की ओर– श्री सीताराम का मकान।

स्थान : तावडू — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 19–08–2025 — इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार संजय श्रीवास्तव उर्फ संजय श्रीवास्तवा, प्रियंका श्रीवास्तव उर्फ प्रियंका श्रीवास्तवा, एस एस एयर हाइड्रो पावर (थ्रू इट्स पार्टनर), अमन सिन्हा (गारंटर) और रंजीत कुमार सिन्हा (गारंटर) को 16.05.2025 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00481980 की राशि रू. 27,25,849.42 (रुपये सत्ताईस लाख पच्चीस हजार आठ सौ उनचास और बयालीस पैसे मात्र) और 14.05.2025 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.08.2025 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 27,25,849.42 (रुपये सत्ताईस लाख पच्चीस हजार आठ सौ उनचास और बयालीस पैसे मात्र) 14.05.2025 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं.12 के सभी भाग और खंड, (सामने/पश्चिमी तरफ की बिल्डिंग), भूतल, छत के अधिकार बिना, सामान्य प्रवेश द्वार, पैसेज और सीढ़ियों के साथ, सभी सामान्य सुविधाओं के साथ, फ्री होल्ड निर्मित संपत्ति का एक हिस्सा, बेअरिंग नं. 12, खसरा नं. 431/64/3, में से क्षेत्र 70 स्क्वे.यार्डस यानि 58.527 स्क्वे. मीटर्स, उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि के आनुपातिक अधिकारों के साथ, गाँव आजादपुर कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित, केवल पार्क एक्सटेंशन के नाम से पहचाने जानेवाला, मंडी मार्ग पर, नई दिल्ली 110033, और जिसकी सीमा निम्नानुसार परिबध्द है:-

पूर्व : उक्त संपत्ति का शेष भाग — पश्चिम : 30 फीट सड़क
उत्तर : अन्य की संपत्ति नं. 11 — दक्षिण : अन्य की संपत्ति नं. 13

सही/-
दिनांक : 18.08.2025 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली — सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय: – 9 वी मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोन: – 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com
कवि नगर शाखा:–डी–8, प्रथम तल, बीएसएनएल कार्यालय के सामने, राजनगर जिला केंद्र (आरडीसी), गाजियाबाद–201002
ग्रीन पार्क शाखा:–बिल्डिंग नंबर एस–8, उपहार सिनेमा कॉम्प्लेक्स, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110016

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निर्दिष्ट कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यों), जिसका प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निर्दिष्ट कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः www.pnbhousing.com में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(ऽ) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामले, यदि कोई (के)
HOU/KAVI/0622/1002049, बी.ओ.: कवि नगर, मोहन झा / लक्ष्मी कुमारी चौधरी	06.02.2025 तक रु. 1,38,38,416.63/–	भौतिक कब्जा	प्लॉट संख्या जे 154, प्रथम तल, ब्लॉक जे, साकेत, दिल्ली, नई दिल्ली–110017	रु. 17003000	रु. 1700300	22.09.2025	रु. 100000	10.09.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	23.09.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known
HOU/GRP/0117/347108, बी.ओ.: ग्रीन पार्क, पूजा ए कुमार / अमित कुमार	22.02.2025 तक रु. 87,24,402.30/–	भौतिक कब्जा	1705,17, टावर जी, अंतरिक्ष गोल्फ लिंक (होल्ड), प्लॉट नंबर, जीएच–15ए, सेक्टर–1, नोएडा एक्सटेंशन, एनए, सुपरटेक इको विलेज–1 के पास, एनए, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत–201301	रु. 10178000	रु. 1017800	22.09.2025	रु. 100000	10.09.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	23.09.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known
HOU/GRP/0317/367871, बी.ओ.: ग्रीन पार्क, सिद्धार्थ शर्मा / अंकिता	22.02.2025 तक रु. 78,14,263.07	भौतिक कब्जा	1706,17, टावर जी, अंतरिक्ष गोल्फ लिंक (होल्ड), प्लॉट नंबर, जीएच–15ए, सेक्टर–1, नोएडा एक्सटेंशन, एनए, सुपरटेक इको विलेज–1 के पास, एनए, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत–201301	रु. 10178000	रु. 1017800	22.09.2025	रु. 100000	10.09.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	23.09.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। 1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परन्तु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती है तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(रों) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती है। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। 3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। 4. **मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **सुनेंद्र कुमार, दीपक शर्मा, संपर्क नंबर 1800120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : दिल्ली/एनसीआर, दिनांक : 21.08.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय (सेंट्रल) 1398, प्रथम तल, चाँदनी चौक, दिल्ली-110006, दूरभाष: 011-41028985

ई–नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत)

परिशिष्ट - IV - A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के बकाये की वसूली हेतु उसकी बिक्री **23.09.2025 को "जहाँ है जैसा है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.centralbankofindia.co.in अथवा (https://BAANKNET.com) में प्रावधानित लिंक देखें।

23.09.2025 को नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण (30 दिवसीय सूचना)

क्र. सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र.	खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रू. लाख में)	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / संविदा वृद्धि
1.	एनआईटी फरीदाबाद (0402)	परमोद कुमार मोबाइल: 9868912601	मैसर्स कार्तिके मोटर्स प्रोप. श्री कृष्ण शर्मा	आवासीय मकान संख्या 46, पुराना वार्ड संख्या 2, नया वार्ड संख्या 13, माप 274 वर्ग गज, नये गुरुद्वारे के पास, बी.पी.ओ. नूह, जिला - मेवात, हरियाणा। **स्वामित्व - श्री हेमंत शर्मा और श्री आशीष कुमार शर्मा**	02.07.2021 रू.1,60,80,082.61 02.07.2021 तक + ब्याज + अन्य शुल्क, - वसूली	16.11.2021 (सांकेतिक कब्जा)	₹ 51,50,000.00 / ₹ 5,15,000.00 / ₹ 50,000.00

ई–नीलामी की तिथि: 23.09.2025, समय: 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे सायं तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित

ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय: 23.09.2025 को 03:30 बजे अप. तक। संविदाकार वेबसाइट: https://BAANKNET.com पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ ट्रांसफर/ (https://BAANKNET.com) से चालान उत्पन्न करने के माध्यम से BAANKNET.com ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा। नीलामी सामान्य लैंडिंग प्लेटफॉर्म ई-बिक्रय पोर्टल (https://BAANKNET.com) के माध्यम से आयोजित की जायेगी। ई-नीलामी **"जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर आयोजित की जायेगी। **(सम्पत्ति के अन्य सभी शुल्क/बकाया केता द्वारा वहन किए जाएंगे)** विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट: www.centralbankofindia.co.in अथवा नीलामी प्लेटफार्म (https://BAANKNET.com) में प्रावधानित लिंक देखें। BAANKNET हेल्पडेस्क: (+91) 8291220220, ई-मेल: support.BAANKNET@psballiance.com

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

कर्जदार/ जमानतियों/ बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा।

दिनांक: 20.08.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
स्थान: दिल्ली — क्षे. का. दिल्ली (सेंट्रल), चाँदनी चौक, दिल्ली

हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड

mycem cement

सीआईएन : एल26942एचआर1958एफएलसी042301
पंजीकृत कार्यालय. : द्वितीय तल, ब्लॉक–बी, डीएलएफ साइबर ग्रीन्स, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज–III, गुरुग्राम, हरियाणा–122002,
फोन: +91 0124-4503700, फैक्स : +91 0124-4147698
ई मेल: investors.mdl@mycem.in; वेबसाइट : www.mycemco.com

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को अनक्लेम्ड लाभांश और संबंधित शेयरों के स्थानांतरण हेतु शेयरधारकों के लिए सूचना

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (अकाउन्टिंग, ऑडिट, ट्रांसफर और रिफंड) नियम, 2016 (''नियम''), के रूप में संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए घोषित अंतरिम लाभांश जो सात वर्षों की अवधि के लिए अनक्लेम्ड रह गया है, वह 30 नवम्बर 2025 को आईईपीएफ मे क्रेडिट हेतु देय होगा। जिन शेयरों पर लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा।

नियमों का पालन करते हुए, 20 अगस्त 2025 को सभी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत सूचनाएं भेजी गयी हैं जिनके अनक्लेम्ड लाभांश और संबंधित शेयर, नियमों के अनुसार आईईपीएफ को स्थानांतरित किए जाने के योग्य हैं। ऐसे शेयरधारकों का पूर्ण विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.mycemco.com/investor.information पर उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें :

1) यदि आप भौतिक रूप में शेयर रखते हैं : शेयरधारक द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित किए जाएंगे। शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र रद्द और गैर–विनिमय योग्य माने जाएंगे।

2) यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखते हैं: आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित किए जाने वाले शेयरों के लिए डीमैट खाता डेबिट किया जाएगा। कंपनी शेयरों को डिपॉजिटरीज के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यवाही द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित करेगी।

यदि 28 नवम्बर 2025 तक मान्य दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी आगे किसी भी सूचना के बिना देय लाभांश और संबंधित इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित करेगी। कृपया ध्यान दें कि कंपनी के खिलाफ आईईपीएफ को स्थानांतरित अनक्लेम्ड लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कोई दावा नहीं होगा। ध्यान दें कि संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण से शेयर और लाभांश का दावा आईईपीएफ–5 फॉर्म में आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं, जो वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है, और उसकी एक भौतिक प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) या कंपनी के नोडल अधिकारी को भेज सकते हैं। उपरोक्त मामले में किसी भी प्रश्न के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, श्री हरीश के, मुख्य प्रबंधक, मै. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : हाईडलबर्ग सीमेन्ट इन्डिया लिमिटेड, नंबर 30, रमना रेजीडेंसी, 4 क्रॉस, संपिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलुरु – 560 003, फोन : 080–23460815 से 818; फैक्स : 080–23460819; ईमेल : bglsta@integratedindia.in एवं irg@integratedindia.in से संपर्क करें।

कृते हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड
हस्ता/–
रवि अरोड़ा
वाइस प्रेसिडेंट–कॉर्पोरेट अफेयर्स एवं कंपनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 20 अगस्त2025

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth Q&As with market mavens — every Monday in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard
Insight Out